आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

छूट/कटौती का दावा करने के लिए करदाताओं हेतु मार्गदर्शिका

उद्देश्यः

- कर्मचारियों को सटीक और सम्पूर्ण आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गलत दावों के परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- छूट/कटौती की सत्यता की जांच के बारे में – नियोक्ताओं को जानकारी देना ताकि टीडीएस सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

करदाता से अपेक्षाएँः

- कि उन्होंने आईटीआर में सही छूट/कटौती का दावा किया हो।
- कि उन्होंने यह सत्यापित किया हो कि धारा की सभी शर्तें पूरी की गई हैं और केवल स्वीकार्य राशि का ही दावा किया गया है।
- अक्सर पुरानी कर व्यवस्था एवं नई कर व्यवस्था में उपलब्ध कटौतियों की सही तरीके से सराहना नहीं की जाती है, जिसकी चर्चा नीचे की जा रही हैः
    - नई कर प्रणाली (एनटीआर)– वित्त वर्ष 2023–24 से सभी करदाताओं के लिए डिफॉल्ट कर प्रणाली बना दी गई है। एक बार नई कर प्रणाली का चुनाव करने के बाद वेतनभोगी कर्मचारी को छोड़कर, करदाता पुरानी कर प्रणाली में वापसी नहीं कर सकता।
    - नई कर प्रणाली में केवल निम्नलिखित छूट/कटौतियाँ स्वीकार्य हैंः–
        - वेतनभोगियों के लिए ₹75,000/– और पेंशनरों के लिए ₹25,000/– की मानक कटौती (जो कि पहले ₹15000/– थी) (वित्त वर्ष 2025–26 व निर्धारण वर्ष 2026–27 से लागू।)
        - धारा 87A के तहत छूट को नई कर व्यवस्था में ₹25,000/– से बढ़ाकर ₹60,000/– कर दिया गया है। (वित्त वर्ष 2025–26 व निर्धारण वर्ष 2026–27 से लागू)

- धारा 80CCD(2) कार्मिक के NPS खाता में नियोक्ता का योगदान पुरानी कर प्रणाली 10% के मुकाबले नई कर प्रणाली में वेतन के 14% का दावा किया जा सकता है।

- धारा 80CCH(2): अग्निवीर कोष में योगदान

- धारा 10(14)(ii) के अंतर्गत कार्मिक को दिया जाने वाला वाहन भत्ता दृष्टिबाधित / शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को ₹3,200 / – प्रति माह का यात्रा भत्ता।

- धारा 80JJAA: कारोबार में नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर होने वाली अतिरिक्त लागत पर भी नई कर प्रणाली में कटौती स्वीकार्य हैं।

हालांकि व्यक्ति और HUF **पुरानी कर व्यवस्था** का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि पुरानी कर व्यवस्था को चुना जाता है, तो करदाता को निम्नलिखित कटौतियां / छूट देय होंगी:

- अदा किए गए मकान के किराए के सन्दर्भ में मकान किराया भत्ता [धारा 10(13A)] जिसे नियम 2A के साथ पढ़ा जाए।
- 80GG: यदि HRA प्राप्त नहीं होता और किराए के मकान में रह रहे हैं तो मकान का किराया मात्र (सीमा: ₹60,000 प्रति वर्ष)।
- धारा 24(b) के तहत उधार ली गई पूंजी पर गृह ऋण के ब्याज की सीमा ₹2,00,000 / – तक है। इसकी अतिरिक्त धारा 80EE (01.04.2016 से 31.03.2017) और धारा 80EEA (01.04.2019 से 31.03.2022) के बीच पहली बार घर खरीदार के लिए ₹50,000 / – और ₹1,50,000 / – की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
- धारा 80C के तहत कटौती : पीपीएफ, ईएलएसएस, ईपीएफ, बच्चों की फीस, गृह ऋण का मूलधन आदि में निवेश।
- धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के सन्दर्भ में कटौती।
- धारा 80DD के तहत विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार एवं भरण पोषण पर कटौती।

- धारा 80DDB: विशिष्ट न्यूरोलोजिकल रोग जैसे– डिमेंशिया, पार्किंसन रोग, क्रोनिक रीनल फेल्योर, कैंसर, हिमेटोलॉजिकल रोग जैसे– थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, एड्स के मामले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा ₹1,00,000/– व अन्य के लिए ₹40,000/–।
- धारा 80E: उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती।
- धारा 80G: कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान पर।
- धारा 80GGA: वैज्ञानिक शोध या ग्रामीण विकास के लिए दिया गया विशिष्ट दान।
- धारा 80GGC: किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिए गए दान पर।
- धारा 80TTA: बैंकों, सहकारी बैंकों व डाकघर के बचत खाते में जमा राशि के ब्याज पर कटौती (धारा 80TTB में निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर)।
- धारा 80TTB: बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघर में जमा राशि पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर कटौती।
- धारा 80U: विकलांग व्यक्ति के सन्दर्भ में कटौती।
- धारा 80EEB: इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज (सीमा ₹1,50,000 तक)।
- वेतन भोगियों व पेंशनरों के लिए ₹50,000 की मानक कटौती।
- धारा 87A के तहत छूट (₹12,500 तक की): ₹5 लाख तक की आय पर, जिससे इस स्तर तक की आय कर मुक्त हो गई है।
- धारा 89: वेतन आदि का भुगतान बकाया या अग्रिम रूप में किए जाने पर राहत। इस धारा के तहत छूट का दावा करने के लिए टीडीएस बनाते समय नियोक्ता को फॉर्म 10E जमा करें। नियोक्ता को फॉर्म में दिए गए विवरण जांच कर कर्मचारी को धारा 89 के तहत बकाया राशि के भुगतान के बाद फॉर्म न. 16 देता है।

हालांकि, करदाता को अपने नियोक्ता को समय पर फॉर्म 12BB प्रस्तुत करना आवश्यक है और यदि वह कटौती छूट का लाभ उठाना चाहता है तो उसे नियोक्ता के समक्ष कटौती/छूट को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा।

नियोक्ता (कटौतीकर्ता) की भूमिका:

- कर्मचारी द्वारा चयनित कर प्रणाली की पुष्टि करें।
- यदि पुरानी प्रणाली चुनी गई है तो कटौती/छूट के लिए फॉर्म 12BB साक्ष्यों सहित प्राप्त करें।
- दावों की पूरी जांच करें।
- टीडीएस की सही गणना करें और कटौती करें।
- वेतन, छूट, कटौती और टीडीएस विवरण के साथ फॉर्म 16 जारी करें।
- अपना तिमाही टीडीएस रिटर्न समय पर फाइल करें।

करदाताओं द्वारा रिफंड के गलत दावे – एक बढ़ती समस्या

- आईटीआर में गलत छूट के लिए बढ़ते दावे।
- अपात्र छूट के आधार पर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अधिक रिफंड के दावे।
- एआई और डेटा एनालिटिक्स द्वारा चिन्हित किए गए उच्च जोखिम युक्त मामले।
- इस प्रकार के अधिकांश मामले एक ही प्रकार के नियोक्ताओं से संबंधित होते हैं एवं एक ही प्रविधि के होते हैं।

गलत दावों के परिणाम:

- दावों की सत्यता की पुष्टि के लिए सूचना प्रोद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं।
- विस्तृत जांच हेतु मामले को संज्ञान में लिया जा सकता है।

- छूट / कटौती के दावे का औचित्य सिद्ध करने में विफल रहने पर निर्धारिती पर डिमांड लगाई जाती है।
- आय की गलत जानकारी देने पर धारा 270A के अंतर्गत 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- धारा 276C और 277 के तहत अभियोजन।
- ₹25 लाख से अधिक की कर चोरी: 6 महीने से 7 साल की सजा + जुर्माना।
- अन्यथा: 3 महीने से 2 साल तक की सजा + जुर्माना।

गलत कटौती के दावे पर देयता

मान लीजिए कि 20% कर दायरे में ₹1,00,000/- की कटौती का दावा किया जाता है तो आप केवल ₹20,000/- बचा सकते हैं। यद्यपि यदि गलत दावा पाया जाता है तो आपको ₹24,000/- (कर+ब्याज) और ₹40,000/- (200%) जुर्माना का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कर वंचन का 125% चक्रवृद्धि शुल्क और सी.ए./ वकील को काम पर रखने का शुल्क जोड़ दिया जाए तो, ₹20,000/- बचाने के गैर कानूनी कृत्य के लिए लगभग 1 लाख का भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात 5 गुना अधिक।

जुर्माने से बचाव: परिशोधित रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना

जिन कर्मचारियों ने गलत दावा किया है, वे इसे निम्न प्रकार से सही कर सकते हैं:

- समय रहते स्वतः संज्ञान लेकर संशोधित रिटर्न दाखिल करें।
- धारा 139(8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें।

अपडेटेड रिटर्न:

समय सीमा : संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 4 वर्षों के भीतर (01.04.2025 से लागू)। पहले यह अवधि 2 वर्ष की थी।

अपडेटेड रिटर्न पर अतिरिक्त टैक्स:

- कर और ब्याज का 25% (यदि 12 माह के भीतर दाखिल किया जाता है)
- कर और ब्याज का 50% (यदि 12–24 माह के भीतर दाखिल किया जाता है)
- कर और ब्याज का 60% (यदि 24–36 माह के भीतर दाखिल किया जाता है)
- कर और ब्याज का 70% (यदि 36–48 माह के भीतर दाखिल किया जाता है)

मुख्य निष्कर्ष:

कर्मचारियों के लिए:

- आईटीआर में कटौती का दावा जिम्मेदारीपूर्वक करें।
- दस्तावेजी साक्ष्य संभाल कर रखें।
- यदि गलत दावा किया है तो संशोधित / अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें।
- अपने कटौतीकर्ता से फॉर्म 16 प्राप्त करें। **TRACES** द्वारा जेनरेट किया हुआ फॉर्म 16 ही मान्य होगा।
- सत्यता एवं पूर्णता के लिए आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 26AS/AIS में अपने टीडीएस विवरण की जांच करें।
- गलत रिपोर्ट करने के कारण जुर्माना और अभियोजन हो सकता है।

नियोक्ताओं के लिए:

- सुनिश्चित करें कि कार्मिक के सभी दावे उचित साक्ष्य युक्त हों।
- फॉर्म 12BB समय पर प्राप्त करें।
- टैक्स प्रणाली के चयन की पुष्टि करें।
- सभी तिमाही टीडीएस रिटर्न समय पर फाइल करें।
- फॉर्म 16 केवल TRACES वेबसाइट से जेनरेट करें, ताकि आपके कार्मिक / कटौती करवाने वाले अपना आईटीआर सही रूप से और आसानी से दाखिल कर सकें।
- सही और पूर्ण रिपोर्टिंग का आपके कार्मिक / कटौतीकर्ता के कर क्रेडिट पर सीधा असर पड़ता है।

जुलाई, 2025

आयकर विभाग

आयकर निदेशालय

(जन संपर्क, प्रकाशन व प्रचार)
छठी मंजिल, मयूर भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001

Income Tax India | @incometaxindia.official | @incometaxindiaofficial
@IncomeTaxIndia | @Income Tax India Official

स्पष्टीकरण: इस विवरणिका को विधिक दस्तावेज न समझा जाए।
अधिक जानकारी के लिए अधिनियम और नियम में संबंधित प्रावधानों से संदर्भ लिया जाए।

www.incometax.gov.in | www.incometaxindia.gov.in